

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र— बेहरोज

पीठासीन अधिकारी — महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा

49 / 18

रजू दिनांक

27.02.2018

निर्णय दिनांक

22.05.2018

अनुवान

1. छारासिंह
2. दयालसिंह
3. मक्खन सिंह
4. कश्मीर सिंह पुत्रान गैलसिंह जाति रायसिंह निवासी बेहरोज तहसील मुण्डावर


:-वादीगण

बनाम

1. पूर्णसिंह
2. हुकमसिंह
3. सुरजनसिंह पुत्रान टहलसिंह
4. जसवंत सिंह पुत्र पूर्णसिंह
5. श्यामसिंह पुत्र सुरजन सिंह
6. बंशो कौर पत्नी अर्जुन सिंह जाति रायसिंह निवासीयान बेहरोज तहसील मुण्डावर

:-प्रतिवादीगण

दावा— हु0 ई0 दवामी


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (जिला अलवर) राजस्थान

-:पर्चा डिक्री:-


दिनांक:- 22.05.2018

वादीगण की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव वकील एवं उभयपक्षकाज्ञान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.05.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

आराजी ख0न0 430 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से सदैव-सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त विवादित आराजी में उनके कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग में मजामहत पैदा ना करें तथा जबरन प्रवेश ना करे, ना ही गंदा पानी व घर का कूड़ा-कचरा आराजी में डालें, पाबंद रहें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 22.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


22.05.18
(महेश चन्द्र मान) उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं मुण्डावर (अलवर) राज.
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)